सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 159/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

माना पत्नि स्व.नाथूलाल कुम्हार निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीया

बनाम

घीसा पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 07.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम कुशायता ग्राम पंचायत कुशायता में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से भेरूलाल एवं पुष्पा उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 211 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2741 व 2746 जो कि प्रार्थीया के नाम खातेदार दर्ज है में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2742, 2744, 2745 में से प्रार्थना पत्र वर्णित प्रार्थीया की आराजी में आने–जाने के लिए रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्राथीया का कथन है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु छोटा या लम्बा कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सोनी उपस्थित। पत्रावली में अप्रार्थी को जवाब हेतु दिनांक 03.10..2017 से अब तक 8 मौके दिये गये जो 90 दिवस की अवधि से भी अधिक समय हो चुका है लिहाजा अप्रार्थी का जवाब बन्द कर तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट ली गई।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में पेश हुइ जहां प्रार्थीया स्वयं उपस्थित एवं अप्रार्थी की ओर से भैरूलाल एवं पुष्पा उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम बिसून्दनी के आराजी खसरा नम्बर 2741 रकबा 0.29 हैक्ट, खसरा नम्बर 2746 रकबा 1.11 हैक्ट. प्रार्थीया माना देवी पत्नि नाथू, नन्दलाल, गोपाल पि. नाथू जाति कुम्हार निवासी बिसून्दनी की खातेदारी भूमि है। उक्त आराजी तक पंहूचने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 2743 से खातेदारी भूमि 2744, 2745 में होकर जाना पडता है। आराजी खसरा नम्बर 2744 रकबा 0.09 हैक्ट. गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 2745 रकबा 1.03 हैक्ट जा.1 भूमि घीसा पुत्र भूरा कौम कुम्हार की खातेदारी भूमि है। ख.नं. 2744 की किस्म पूर्व में ही गै.मु.रास्ता दर्ज है। अतः खसरा नम्बर 2745 में 46 X 4 = 184 वर्ग मी. की भूमि रास्ते में जाती है। प्रार्थीया की प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में पंहूचने के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 2744 व 2745 में होकर ही है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए वाके ग्राम बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर के हाल खसरा नम्बर 241 व 246 में आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थनापत्र वर्णित खसरा नम्बर 241 व 246 में आने जाने हेतु ग्राम बिसून्दनी के खसरा नम्बर 2745 रकबा 1.03 हैक्ट. में 46 X 4 = 184 वर्ग मी. क्षेत्रफल का रास्ते हेतु वर्तमान पंजीयन दर से 4098 रूपये के दुगनी राशि अप्रार्थी द्वारा जमा राजकोष या भुगतान किये जाने पर वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

राजस्व वाद संख्या – 159/2017

श्रीमती माना पत्नी नाथूलाल कुम्हार निवासी बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर

प्रार्थिया

बनाम

घीसा पुत्र भूरा कुम्हार दौराने दावा फौत जरिये वारिस :–

1. श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व. घीसा
2. भैरूलाल पुत्र स्व. घीसा
3. पुष्पा पुत्री स्व. घीसा
4. दुर्गा पुत्री स्व. घीसा
5. लाली पुत्री स्व. घीसा

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर

6. सत्तू देवी पुत्री स्व. घीसा **दौराने दावा फौत जरिये वारिसान**

6/1 राजू पुत्री सोजी

6/2 पिंकी पुत्री सोजी नाबालिग जरिये संरक्षक सोजी

जाति कुम्हार निवासी सकरामपुरा तहसील देवली जिला टोंक

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 152 जाब्ता दीवानी वास्ते मुकदमा नं. 159/2017 माना बनाम घीसा में निर्णय दिनांक 07.06.2018 में आंशिक संशोधन बाबत्।

दिनांक 20.06.2018

पत्रावली आज प्रार्थिया के अधिवक्ता श्री अब्दुल सलीम गौरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 152 जाब्ता दीवानी वास्ते मुकदमा नं. 159/2017 माना बनाम घीसा में निर्णय दिनांक 07.06.2018 में आंशिक संशोधन बाबत् पेश करने से पत्रावली पुनः पेशी पर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद पत्रावली के अवलोकन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्याय संगत होने से शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें पूर्व निर्णय दिनांक 07.06.2018 के अन्तिम पैरा में खसरा नं. 2741 रकबा 0.29 व खसरा नं. 2746 रकबा 1.11 हेक्ट. के स्थान पर लिपिकीय त्रुटि से 241 व 246 का अंकन हो गया हैं। जबकि प्रार्थी की खातेदारी का खसरा नं. 241 व 246 के स्थान पर 2741 व 2746 का अंकन होना था। जो पूर्व निर्णय दिनांक 07.06.2018 में गलत अंकन होना पाया गया तथा पत्रावली में अप्रार्थी घीसा फौत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी का शामिल पत्रावली होना पाया गया है, जिसमें घीसा के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना भी पाया गया है, किन्तु टंकण की त्रुटि से घीसा को अप्रार्थी माना गया है, जो कि घीसा फौत हो चुका है तथा घीसा के वारिसान सं. 1–6 तथा 6/1 व 6/2 का निर्णय में अंकन होना टंकण की त्रुटि से अंकन नहीं हुआ हैं। लिहाजा सोमोटो न्यायालय के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्णय दिनांक में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए शामिल पत्रावली कर पूर्व निर्णय दिनांक 07.06.2018 मुकदमा नं. 159/2017

माना बनाम घीसा अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता हैं।

अतः न्यायालय के पूर्व मुकदमा नं. 159/2017 उनवानी माना बनाम घीसा अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय दिनांक 07.06.2018 में अप्रार्थी घीसा को फौत मानते हुए उसके वारिसान क्र.सं. 1–6 तथा 6/1 व 6/2 को रिकॉर्ड पर मानते हुए पूर्व निर्णय में पढा जावें एवं पूर्व निर्णय दिनांक 07.06.2018 के अन्तिम पैरा में प्रार्थिया के खातेदारी खसरा नं. 241 व 246 के स्थान पर 2741 व 2746 पढा जाकर पूर्व निर्णय दिनांक की पालना हेतु इस आशिक संशोधन को पूर्व निर्णय दिनांक 07.06.2018 के पृष्ठ सं. 1 के स्थान पर पृष्ठ सं. 1–3 पर पढा जाकर निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें। पत्रावली पुनः नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी